



**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

विविध प्रार्थना पत्र संख्या ..... 16/2018.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो, वैशाली नगर, जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वा.क. जयपुर 2. सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग तृतीय, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए						
09/03/2018	<p align="center"><b>खण्डपीठ</b>  <b>श्री के.एल.जैन, सदस्य</b>  <b>श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री एस.के. शर्मा मैनेजर एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।</p> <p>यह विविध प्रार्थना पत्र, राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 05.09.2017 जिसके द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार बकाया राशि पर स्थगन प्रदान करते हुए अपीलीय अधिकारी को उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे, के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।</p> <table border="1" data-bbox="511 940 1242 1061"> <thead> <tr> <th>विविध प्रा.प.सं.</th> <th>कर बोर्ड की मूल अपील संख्या</th> <th>स्थगित की गई राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/18</td> <td>1175/2017</td> <td>8,97,02,394</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलीय अधिकारी द्वारा अभी तक उक्त प्रकरण को सुनवाई में नहीं लिया गया है। इस आधार पर उन्होंने स्थगन आदेश और तीन माह तक बढ़ाने का निवेदन किया है।</p> <p>उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई।</p> <p>विचाराधीन प्रकरण में अधिनियम की धारा 38(4) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में स्थगन आदेश दिनांक 05.09.2017 द्वारा जारी किया गया है जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि अनुरूप पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन आदेश पारित किया गया है व अपील तीन माह में निस्तारित करने के आदेश दिये गये है। प्रकरण में तीन माह की अवधि में अपील का निस्तारण नहीं होने के कारण अवधि बढ़ाये जाने हेतु अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है। चूंकि प्रकरण में अपील का निस्तारण नहीं हो सका है, अतः अवधि बढ़ाया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में स्थगन पूर्व शर्तानुसार तीन माह अथवा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।</p> <p>विविध प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="381 2056 706 2325" style="text-align: center;">               09.03.2018              सदस्य              राजस्थान कर बोर्ड              अजमेर         </div> <div data-bbox="982 2083 1388 2325" style="text-align: center;">               सदस्य              राजस्थान कर बोर्ड              अजमेर         </div> </div>	विविध प्रा.प.सं.	कर बोर्ड की मूल अपील संख्या	स्थगित की गई राशि	16/18	1175/2017	8,97,02,394	
विविध प्रा.प.सं.	कर बोर्ड की मूल अपील संख्या	स्थगित की गई राशि						
16/18	1175/2017	8,97,02,394						